संख्या–3842/आठ–1–13–40विविध/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव/सचिव,
वित्त विभाग/कृषि विभाग/सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/राजस्व विभाग/पशुपालन विभाग/दुग्ध विकास विभाग/कार्मिक विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

3– जिलाधिकारी, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2013

विषय : चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फार्म के पुनर्स्थापन हेतु कार्य योजना।

महोदय,

प्रदेश में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने तथा संतुलित पर्यावरण में औद्योगिक विकास का वातावरण उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से चक गंजरिया फार्म की भूमि पर वर्तमान में संचालित गतिविधियों को अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित कर इस भूमि की लोकेशन व महत्व के दृष्टिगत इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासनादेश सं0–895/आठ–1–13–40विविध/13 दिनांक 09.04.13 द्वारा निर्गत विस्तृत कार्य–योजना का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 09.04.13 के साथ चक गंजरिया फार्म की कुल भूमि के सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण से तैयार किये गये ले–आउट प्लान को भी संलग्न कर प्रेषित किया गया था, जिसके अनुसार परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागों को भूमि हस्तान्तरित की गई है।

2– परियोजना स्थल की समग्र अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त प्रोफेशनल कन्सल्टेंट द्वारा मौके का परीक्षण कर तथा भविष्य के विकास की सम्भावनाओं को देखते हुये चक गंजरिया परियोजना के अनुमोदित ले–आउट प्लान में कतिपय संशोधन/सुधार प्रस्तावित किया गया है। कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(1) अनुमोदित ले–आउट प्लान में किया गया संशोधन :–

(i) संशोधित ले–आउट प्लान में 55 मीटर चौड़े ग्रीन कॉरीडोर का प्राविधान।

I. Singh/Chak Ganjariya G.O.

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सृजित किए गए व्यवसायिक पाकेट एवं इसके फलस्वरूप प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मेडिसिटी एवं हास्पिटल की लोकेशन में परिवर्तन।

(iii) परियोजना के उत्तरी भाग में स्थित आवासीय पाकेट को मिश्रित भू–उपयोग में परिवर्तन।

(iv) अनुमोदित ले–आउट में दर्शित फेसिलिटीज भू–उपयोग को समाप्त करते हुए तीन पाकेट में प्रस्तावित आवासीय पाकेट को दो आवासीय पाकेट में पुनर्गठन।

(v) अनुमोदित ले–आउट प्लान में दुग्ध प्रसंस्करण प्लान्ट की स्थापना हेतु दर्शित स्थल को परिवर्तित कर पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध विकास विभाग को पूर्व में आवंटित स्थल के यथासंभव अधिकांश भाग पर ही रखना।

(vi) परियोजना में सुल्तानपुर रोड के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों के ग्रीन कॉरीडोर को इन्टर कनेक्ट किए जाने हेतु सुल्तानपुर रोड पर पैडेस्ट्रीयन वाकवे/साइकिल रैम्प (फ्लाईओवर के रूप में) विकसित करना।

(2) सम्पूर्ण परियोजना परिक्षेत्र की ओवर आल लैण्ड स्केप डिजाइनिंग, ग्रीन कॉरीडोर का विकास एवं प्रबन्धन तथा परियोजना के लिए कॉमन आर्कीटेक्चरल गाइड लाइन्स के मानक, कन्सल्टेंट तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मिलकर निर्धारित किए जाये, जिसका अनुपालन परियोजना से सम्बन्धित समस्त विभागों द्वारा किया जायेगा।

3– अतः उक्तानुसार संशोधित ले–आउट प्लान संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न संशोधित ले–आउट प्लान के अनुसार परियोजना से प्रभावित सम्बन्धित विभाग भूमि का कब्जा प्राप्त कर म्युटेशन आदि की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संशोधित ले–आउट प्लान के फलस्वरूप प्रभावित विभागों (चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ, दुग्ध विकास एवं कार्मिक विभाग तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण) के भूमि स्थल में हुए परिवर्तन सम्बन्धी विस्तृत भू–विवरण संलग्न है।

4– शासनादेश सं0–895/आठ–1–13– 40विविध/13 दिनांक 09.04.13 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 09.04.13 में उल्लिखित अन्य शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

कृपया उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्राथमिकता पर कार्यवाही पूर्ण की जाय।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>
(संशोधित ले-आउट प्लान)

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

I. Singh/Chak Ganjariya G.O.

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3— प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त/पर्यावरण/वन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4— निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अप—लोड कराना सुनिश्चित करें ।

5— गार्ड बुक।

आज्ञा से

9/12/13.

(सदा कान्त)

प्रमुख सचिव

I. Singh/Chak Ganjariya G.O.